दा०प्रकरण क्र० 79/2024

**शा०वि० सुमेन्द्र बाहदुर**

Witness No. .............03.................for......prosecution.............Deposition taken the20/01/2025...................day of.....……………………..Witness's apparent age ...35......Years States on affirmation........................my name is...............अनिल निषाद................

son/W/D of. स्व०रामसुरत निषाद...................... occupation .........मछली का (व्यवसाय).................

address .वार्ड नंबर 03 दल्लीराजहरा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद छ०ग०............................................

Time- 12-10PM

**<u>शपथपूर्वक कथनः–</u>**

**साक्षी को आज दिनांक 20/01/2025 को शपथ दिलाकर अभियोजन अधिकारी श्री एम०आर० मण्डावी द्वारा मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।**

1. मै सुमेन्द्र बाहदुर को नहीं जानता हूॅ,आहत युवराज देवांगन,खेमूराम साहू,सुरेश देवांगन ,मिथलेश साहू को जानता एवं पहचानता हूॅ ये सभी हमारे दल्लीराजहरा के निवासी है। वर्तमान में सुरेश देवांगन की मृत्यु हो चुकी है।

2. घटना आज से 10–12 साल पहले केशकाल घाटी के नीचे की है। घटना दिनांक को मै सभी आहतगण के साथ पीकअप वाहन में सवार होकर बहीगांव बाजार जाने के लिए निकले थे। हमारे पीकअप वाहन को मिथलेश साहू चला रहा था। हमारी पीकअप वाहन केशकाल घाटी के नीचे पहुंचे थे तभी उपर की ओर से 14 चक्का ट्रक आया और सामने से सीधा हमारी पीकअप वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मेरे कमर के नीचे भाग की हड्डी टूट गई थी एवं आहतगण को भी चोटें आई थी। 14 चक्का ट्रक को एक मोटा सा लड़का चला रहा था जिसका नाम मै नहीं जानता हूं ट्रक जगदलपुर का था। हम लोगों का मुलाहिजा सी०एच०सी० केशकाल में हुआ था। मै पुलिस को

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000842024/truecopy/order-1.pdf

घटना के संबंध में अपना बयान दिया था।

**<u>प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपी सुमेन्द्र बाहदुर द्वारा श्री दुर्गेश जोशी अधिवक्ताः-</u>**

3. यह कहना सही है कि मै आरोपी को नहीं जानता एवं पहचानता हूँ । यह कहना सही है कि मै वाहन पीकअप में पीछे बैठा था। यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन को कौन चला रहा था मै नहीं देखा। साक्षी स्वतः कहता है कि मै अस्पताल में ट्रक चालक को देखा था। यह कहना सही है कि पीकअप वाहन मछली और टमाटर से भरा हुआ था। यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन का नंबर मुझे नहीं मालूम। यह कहना सही है कि मैन अपना पुलिस कथन नहीं पढ़ा था। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे कथन में क्या क्या लिखा था मै नहीं बता सकता।

TIME- 12:23.PM

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया ।

**सही/–**

(श्रीमती अंजली पाण्डेय)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

केशकाल ,जिला कोण्डागांव छ०ग०

मेरे निर्देश पर टंकित

**सही/–**

(श्रीममी अंजली पाण्डेय)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

केशकाल ,जिला कोण्डागांव छ०ग०

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000842024/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com